भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2699

(दिनांक 07.08.2024 को उत्तर के लिए)

पार्श्व प्रवेश के माध्यम से नियुक्ति

2699. एडवोकेट चन्द्र शेखरः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अपने मंत्रालयों/विभागों में उप सचिवों, निदेशकों और संयुक्त सचिवों के लिए पार्श्व प्रवेश की शुरुआत की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) आज की तारीख तक पार्श्व प्रवेश के माध्यम से कुल कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है; और
(घ) आज की तारीख तक पार्श्व प्रवेश के माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों की कितनी नियुक्ति की गई है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ.जितेन्द्र सिंह)

(क)एवं (ख) जी हाँ, नीति आयोग ने अपनी तीन वर्षीय कार्रवाई संबंधी कार्यसूची (एक्शन एजेंडा) में और शासन पर सचिवों के क्षेत्रीय समूह (एसजीओएस) ने फरवरी 2017 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में नई प्रतिभाओं को लाने के साथ ही जन-शक्ति की उपलब्धता को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य से सरकार में प्रबंधन के मध्य एवं वरिष्ठ स्तर पर कार्मिकों के प्रवेशन की सिफारिश की थी। विशिष्ट समनुदेशनों के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए, डोमेन एरिया में उनके विशिष्ट ज्ञान और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक तथा उप-सचिव के स्तर पर पार्श्व प्रवेश की शुरुआत की गई है।

(ग) अब तक पार्श्व प्रवेश के माध्यम से 63 नियुक्तियां की गई हैं तथा वर्तमान में 57 अधिकारी मंत्रालयों/विभागों में पदस्थ हैं।

(घ) पार्श्व भर्ती करने हेतु चयनित अभ्यर्थियों की श्रेणी से संबंधित विवरण रखना अपेक्षित नहीं है, क्योंकि एकल पद संवर्गों (कैडरों) पर नियुक्ति के लिए आरक्षण लागू नहीं है।

******